

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी का कार्यालय
जामिया मिल्लिया इस्लामिया

प्रेस विज्ञप्ति

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने थर्ड-पार्टी ट्रांसपेरेंसी ऑडिट में शानदार स्कोर हासिल किया, RTI एक्ट के तहत प्रोएक्टिव डिस्क्लोज़र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2026

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआई) ने सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI Act), 2005 की धारा 4 के तहत निर्धारित प्रोएक्टिव डिस्क्लोज़र की ज़रूरतों के अनुपालन का आकलन करने के लिए किए गए नवीनतम थर्ड-पार्टी ट्रांसपेरेंसी ऑडिट में 825 में से 802 का बेहतरीन स्कोर हासिल किया है। यह जामिया मिल्लिया इस्लामिया द्वारा अब तक हासिल किया गया सबसे अधिक स्कोर है, जो पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जेएमआई ने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एक व्यापक और यूज़र-फ्रेंडली 'सुओ मोटो डिस्क्लोज़र' (स्वेच्छा से जानकारी देने वाला) वेबपेज बनाया है, जहाँ खण्ड 4 की विभिन्न धाराओं के तहत निर्धारित जानकारी एक व्यवस्थित और आसानी से नेविगेट होने वाले ड्रॉप-डाउन मेनू के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। यह वेबपेज स्टेकहोल्डर्स को संस्थागत जानकारी तक आसान पहुँच प्रदान करता है और RTI एक्ट के तहत परिकल्पित पारदर्शिता के उद्देश्य को काफी आगे बढ़ाता है।

यूनिवर्सिटी के प्रोएक्टिव डिस्क्लोज़र को <https://जेएमआई.ac.in/ADMINISTRATION/Right-To-Information-Act/Suo-Moto-Disclosure> पर देखा जा सकता है।

यह ट्रांसपेरेंसी ऑडिट एक सरकारी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया गया था, जिसे केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने RTI एक्ट के तहत प्रोएक्टिव डिस्क्लोज़र दायित्वों के अनुपालन के थर्ड-पार्टी मूल्यांकन के लिए मान्यता दी है।

यह मूल्यांकन भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) द्वारा जारी RTI एक्ट की धारा 4 के तहत 'सुओ मोटो डिस्क्लोज़र' पर दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया। मूल्यांकन में केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों और विभागों के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जेएमआई की 2025-26 की स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट और इसकी आधिकारिक वेबसाइट (<https://जेएमआई.ac.in/>) की जाँच की गई। ऑडिटर्स ने अपनी वेबसाइट पर ज़रूरी जानकारी उपलब्ध कराकर पारदर्शिता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के लिए जेएमआई की सराहना की है।

इस उपलब्धि पर खुशी ज़ाहिर करते हुए, जेएमआई के वाइस-चांसलर प्रो. मज़हर आसिफ़ ने कहा:

"यह उपलब्धि पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा के प्रति जामिया मिल्लिया इस्लामिया की मज़बूत प्रतिबद्धता को दिखाती है। जानकारी को खुद से सार्वजनिक करना (प्रोएक्टिव डिस्क्लोज़र) सिर्फ़ एक कानूनी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अच्छे प्रशासन का एक ज़रूरी हिस्सा भी है। पारदर्शिता ऑडिट में अब तक

का सबसे अच्छा स्कोर हासिल करना यूनिवर्सिटी के लिए गर्व की बात है और यह सभी संबंधित लोगों के लिए जन-महत्व की जानकारी आसानी से उपलब्ध कराने के हमारे सामूहिक संकल्प को दिखाता है। हम अपने सिस्टम को मज़बूत करना और संस्थागत कामकाज में पारदर्शिता के उच्चतम मानकों को बनाए रखना जारी रखेंगे।"

जेएमआई के रजिस्ट्रार और फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी (FAA) – (यूनिवर्सिटी सेक्टर), प्रो. मो. महताब आलम रिज़वी ने भी सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी और कहा:

"यह शानदार ऑडिट स्कोर यूनिवर्सिटी के अलग-अलग प्रशासनिक और शैक्षणिक विभागों में की गई सावधानीपूर्वक योजना, समन्वित प्रयासों और लगातार निगरानी का नतीजा है। मैं उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण की सराहना करता हूँ जिन्होंने सटीक, अपडेटेड और आसानी से उपलब्ध जानकारी बनाए रखने में योगदान दिया। यह उपलब्धि हमें अपने पारदर्शिता ढाँचे और नागरिक-केंद्रित प्रशासन के तरीकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए और प्रेरित करती है।"

यूनिवर्सिटी, RTI नोडल ऑफिसर और सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर (CPIO) - (यूनिवर्सिटी सेक्टर), प्रो. शबाना महफूज़ के समर्पित प्रयासों की सराहना करती है, जिनके समन्वय और नियमित फॉलो-अप ने ऑडिट की ज़रूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई। यह उपलब्धि RTI सेल के सभी सदस्यों, कंट्रोलर और FAA (परीक्षा), प्रो. एहतेशामुल हक़, डायरेक्टर (CDOE) और FAA (CDOE), प्रो. असलम खान, पारदर्शिता अधिकारी, प्रो. शकीब अहमद खान, CAPIO (यूनिवर्सिटी सेक्टर), डॉ. इबादुर रहमान, CPIO (परीक्षा), डॉ. अमीना हुसैन, CPIO (CDOE), डॉ. मकसूद अहमद मलिक, डायरेक्टर, सेंटर फॉर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वित्त अधिकारी और विभिन्न संकायों, विभागों, केंद्रों, कार्यालयों और प्रशासनिक इकाइयों के अधिकारियों के सामूहिक योगदान से संभव हुई, जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लगन से काम किया कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी पूरी, सटीक और अप-टू-डेट रहे।

जेएमआई का यह अच्छा स्कोर 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI Act) की भावना के प्रति यूनिवर्सिटी की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस अधिनियम का मकसद जानकारी को सक्रिय रूप से साझा करके सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। आम लोगों के लिए कई तरह की जानकारी उपलब्ध कराकर, यूनिवर्सिटी नागरिकों को सशक्त बनाना, प्रशासनिक जवाबदेही बढ़ाना और अलग-अलग RTI आवेदनों की ज़रूरत को कम करना चाहती है।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, RTI अधिनियम, 2005 के नियमों और भावना के अनुसार, जानकारी देने की अपनी सक्रिय व्यवस्था को और मज़बूत करने और लोगों की जानकारी तक पहुँच को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रोफ़ेसर साइमा सईद
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी